न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 53 / 2021
दायर दिनांक :— 19.03.2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2021 / 62
निर्णय दिनांक :— 16.01.2025

1. भारमलराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. रतनाराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. मुल्तानाराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. भगवानाराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. पांचाराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. रूगनाथराम पुत्र बरिंगा जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. सुगनी पत्नी सुल्तानाराम जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. सायरी पत्नी बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

उपस्थितः— 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण

2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवकता प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की और से

3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय से पेश किया कि ग्राम जैसला पटवार क्षेत्र जैसला तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित खेत खसरा नम्बर 683 रकबा 116.11 बीघा व अन्य खसरा नम्बर की उक्त भूमि पूर्व में बरिंगा, हरदास, काना पि. उदा, हरींगा वल्द गुला 1/2 हिस्सा, अनुसार मिसल बन्दोबस्त में दर्ज थी। इस प्रकार उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता हरदास पि. उदा का 1/12 हिस्सा बनता है। जमाबंदी नकल सम्वत 2070—2075 संलग्न वाद पेश है। मिसल बन्दोबस्त के बाद प्रथम जमाबंदी सम्वत 2014—2017 बनाते समय पटवारी हल्का ने बरिंगा पुत्र हरदास व काना पि. उदा, हरिंगा वल्द गुला 1/2 हिस्सा अनुसार गलत इन्द्राजात कर दिये जबकि मिसल बन्दोबस्त में बरिंगा, हरदास काना पि. उदा, हरींगा वल्द गुला 1/2 हिस्सा अनुसार दर्ज थी। वादीगण के पिता का नाम उक्त जमाबंदी में दर्ज नहीं किया और प्रतिवादी संख्या 2 के पिता का नाम बरिंगा पुत्र उदा के स्थान पर बरिंगा पुत्र हरदास दर्ज

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कर दिया जो सरासर गलत है। वादीगण के पिता हरदास पि. उदा फौत हो चुके है जिनके वारिसान वादीगण ही है इसलिये वादीगण उक्त भूमि खसरा नम्बर 683 रकबा 116–11 बीघा के राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवा पूर्वानुसार वादीगण अपने 1/12 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 के पिता बरिंगा पुत्र उदा फौत हुवे तो मुतवफी बरिंगा का फोतेदगी नामान्तरकरण संख्या 521 मौजा जैसलां भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में वादीगण के पिता हरदास का नाम दर्ज करके पटवारी हल्का द्वारा काट दिया गया एवं जमाबंदी सम्वत 2048–2051 में भी वादीगण के पिता का नाम दर्ज करके सरासर गलत रूप से काट दिया गया। वर्तमान में वादीगण के पिता फौत हो चुके है और वादीगण की हरदास पुत्र उदा के जायज वारिसान है। इसलिये वादीगण ग्राम जैसला पटवार क्षेत्र जैसला तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 683 रकबा 116–11 बीघा भूमि में 1/12 हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की और से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि ग्राम जैसला पटवार हल्का जैसलां तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 683 रकबा 116–11 बीघा अन्य खसरान् में से प्रतिवादी संख्या 2 से प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 ने प्रतिवादी संख्या 2 के 1/12 हिस्सा का 1/2 हिस्सा यानि रकबा 4–17 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 23.07.1990 को पूर्ण प्रतिफल अदा करके खरीद किया था तथा मौके पर प्रतिवादी संख्या 2 से प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 ने भौतिक एवं वास्तविक कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। अन्य खसरान् की भूमि में पंजीबद्व विकय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के पक्ष में नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत हो गया है लेकि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण संखय 3 व 4 के पक्ष में नामान्तरकरण नहीं भरा गया इसलिये ग्राम जैसला पटवार क्षेत्र जैसला के खसरा नम्बर 683 रकबा 18.8664 हैक्टेयर में माफिक विकय पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 के 1/8 हिस्सा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अपने 1/24 यानि रकबा 4–17 बीघा तथा वादीगण के 1/12 हिस्सा रकबा 9–14 बीघा के खातेदार काश्त घोषित करवाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश कर बताया कि खसरा नम्बर 683 रकबा 116–11 बीघा व अन्य खसरा नम्बर सरहद मौजा जैसलां के मिसल बन्दोबस्त के बाद काना पि. उदा, हरिंगा वल्द गुला 1/2 हिस्सा अनुसार गलत इन्द्राजात कर दिये। जबकि मिसल बन्दोबस्त में बरिंगा, हरदास, काना पि. उदा हरींगा वल्द गुला 1/2 हिस्सा अनुसार दर्ज थी। वादीगण पिता का नाम उक्त जमाबंदी में दर्ज नहीं किया और प्रतिवादी संख्या 2 के पिता का नाम बरिंगा पुत्र उदा के स्थान पर बरिंगा पुत्र हरदास दर्ज कर दिया। प्रतिवादी संख्या 2 के पिता बरिंगा पुत्र उदा फौत हुवे तो मुतवफी बरिंगा का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 521 मौजा जैसलां भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम सं.

16/01/15
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

9 में वादीगण के पिता हरदास का नाम दर्ज करके पटवारी हल्का द्वारा काट दिया गया एवं जमाबंदी सम्वत 2048–2051 में भी वादीगण के पिता का नाम दर्ज करके सरासर गलत रूप से काट दिया गया। प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर देकर उक्त वाद का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है। जिससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होगा। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध होने से तनकीयात कायम की गई। वादी संख्या 2 रतनारमा ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किय जाकर शामिल पात्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता उभय पक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन के पश्चात प्रकरण का निर्णयन तनकीवार इस प्रकार है।

तनकी नम्बर 1 वादीगण ग्राम जैसला पटवार हल्का जैसला के खेत खसरा नम्बर 683 रकबा 116–11 बीघा में प्रतिवादी संख्या 2 के स्थान पर वादीगण को 1/12 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादीगण)

तनकी नम्बर 1 का निर्णय ग्राम जैसला के खसरा नम्बर 683 रकबा 116–11 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्त में बरिंगा, हरदास, काना पिता उदा, हरिंगा वल्द गुला के नाम दर्ज थी लेकिन प्रथम जमाबंदी सम्वत 2014–2017 में बरिंगा पुत्र हरदास, काना पिता उदा, हरिंगा वल्द उदा के नाम दर्ज कर दी गयी। प्रथम जमाबंदी में ही वादीगण के पिता हरदास पिता उदा का नाम राजस्व रेकर्ड नहीं किया गया। उक्त भूमि में मिसल बन्दोस्त अनुसार 1/12 हिस्सा वादीगण का बनता है। नामान्तरकरण संख्या 521 के कॉलम संख्या 9 में वादीगण के पिता का नाम दर्ज करने के पश्चात काट दिया गया। वाद पत्र के संलग्न मिसल बन्दोबस्त, जमाबंदी सम्वत 2014–2059, नामान्तरकरण संख्या 521 व वर्तमान जमाबंदी, पैरोकार सरकार के जवाब एवं मौखिक तथ्यों के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 ग्राम जैसला पटवार हल्का जैसला के खेत खसरा नम्बर 683 रकबा 116–11 बीघा में प्रतिवादी संख्या 2 के स्थान पर माफिक विक्रय पत्र दिनांक 23.07.1990 के अनुसार 1/24 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4)

तनकी नम्बर 2 का निर्णय ग्राम जैसला के खसरा नम्बर 683 रकबा 116–11 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज थी प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से में से 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बेचान दिनांक 23.07.1990 को कर दिया था। लेकिन बेचान अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया। वाद पत्र के संलग्न वर्तमान जमाबंदी,

16/01/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पैरोकार सरकार के जवाब एवं मौखिक तथ्यों के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

विवादग्रस्त ग्राम जैसलां के खसरा नम्बर 683 रकबा 18.8664 हैक्टेयर स्थित है जिसमें रूगनाथ पुत्र बरिंगा का 1/8 हिस्सा दर्ज है। रूगनाथ पुत्र बरिंगा 1/8 हिस्सा के स्थान पर माफिक विक्रय पत्र अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को 4–17 बीघा तथा वादीगण को 1/12 हिस्सा रकश्बा 9–14 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी उचित है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने भी जवाब पेश कर जवाब दावा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के कथन कहे है। तहसीलदार बाप ने अपने जवाब में भी कथन किया है कि वादीगण के वाद का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने पर एतराज नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, जवाब दावा से वाद वादीगण साबित है। वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जैसला के खसरा नम्बर 683 रकबा 116–11 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 1/24 हिस्सा तथा वादीगण को 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/01/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. भारमलराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. रतनाराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. मुल्तानाराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. भगवानाराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. पांचाराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. रूगनाथराम पुत्र बरिंगा जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. सुगनी पत्नी सुल्तानाराम जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. सायरी पत्नी बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :— 53/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मोहम्मद रफीक मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम जैसला के खसरा नम्बर 683 रकबा 116—11 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 1/24 हिस्सा तथा वादीगण को 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.01.2025 को जारी की गई।

16/01/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।